कार्यालय सामान्य वनमण्डल सीहोर

☎(917562) 222767 फैक्स – 917562(222767) E-Mail :- dfot.seh@mp.gov.in

क्रमांक/माचि/2020/3879 सीहोर, दिनाँक : 17../06./2020

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद आष्टा,
जिला सीहोर।

विषय :- सीहोर जिले के आष्टा परिक्षेत्र में मुख्यमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत रामपुरा जलाशय से आष्टा तक ROW में रोड़ के किनारे किनारे पानी की पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.160 हेक्टेयर वनभूमि नगर पालिका परिषद, आष्टा को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाइन प्रकरण क्रं **FP/MP/WATER/42812/2019)**

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./1667/तक-श/न.प./2019 दिनांक 24.01.2020 एवं अ.प्र.मु.व.सं. (भू-प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/950/2020/10-11/1789 दिनांक 10.06.2020

--- 00 ---

विषयांकित प्रकरण में लेख है कि, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/950/2020/10-11/1789 दिनांक 10.06.2020 के अनुसार प्रकरण में सड़क किनारे आर.ओ.डब्ल्यू के तहत पीने के पानी की पाईप लाईन डालने हेतु अनुमोदन किया गया है। जिसमें आपके द्वारा सीहोर वन मण्डल के अंतर्गत डामरीकृत सडक मार्ग के किनारे आर.ओ.डब्ल्यू के तहत 0.160 हेक्टेयर वन भूमि को भूमिगत पीने के पानी की पाईप लाईन डालने की अनुमति के संबंध मे प्रस्ताव ऑनलाईन forests Clearance की बेबसाईट के माध्यम से प्रकरण कमांक/ **FP/MP/Water/42812/2019** से पंजीबद्ध किया गया है

प्रकरण में **वनमंडल सीहोर के वन परिक्षेत्र आष्टा के वन कक्ष क्रं-आर.एफ-148 में लम्बाई 1600 मी. एवं चौ. 1 मी. कुल रकबा 0.160 हेक्टेयर वनक्षेत्र प्रभावित** होना प्रतिवेदित किया गया था जिसमे प्रस्तावित कार्य अंतर्गत कोई भी वृक्ष प्रभावित नही होना है उक्त पाईप लाईन सड़क मार्ग के किनारे आर.ओ.डब्ल्यू. के तहत पीने के पानी की पाईप लाईन बिछाने हेतु वनभूमि उपयोग पर देने के संबंध मे म0प्र0 वन विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक/एफ/5/18/2002/10-3 दिनांक 18.11.2004 एवं आदेश कमांक/एफ/5/18/2002/10-3 दिनांक 14.12.2005 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र कमांक/एफ-11/2015/2637 दिनांक 28.10.2015 एवं पत्र कमांक/एफ-11/2017/10-11/2586 दिनांक 01.09.2017 मे निहित प्रावधान एवं प्राप्त दिशा निर्देश तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल का पत्र कमांक/एफ-5/2019/10-11/3891 दिनांक 16.12.2019 से दिये गये निर्देशानुसार एवं प्रस्ताव का अनुमोदन उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन राईट ऑफ वे के अंतर्गत पीने के पानी की पाईप लाईन बिछाने हेतु वनभूमि उपयोग की प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्त क्र.-1) वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा अर्थात वन रहेगा।

शर्त क्र.-2) उक्त कार्य केवल उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट आफ वे के तहत किया जावेगा। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है ।

शर्त क्र.-3) प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र 1.000 हेक्टे. से कम है। अतः इसमें वैकल्पिक वृक्षारोपण नही किया जाना है, परन्तु कोई वृक्ष काटा जाता है तो उसके दस गुना वृक्षों के रोपण की राशि जमा करानी होगी।

शर्त क्र.-4) प्रस्ताव अनुसार पाईप लाईन डालने हेतु खन्ती का आकार 2 मी. गहरा तथा 1 मी. चौड़ा से अधिक नहीं होगा एवं आपके द्वारा प्रस्तावित कुल रकबा **0.160 हैक्ट.** से अधिक वनक्षेत्र प्रभावित न हो।

शर्त क्र.-5) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़ कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।

शर्त क्र.-6) समतलीकरण कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नही किया जावेगा, जिसकी पूर्ति अन्य स्थानों से की जावेगी।

Scanned with CamScanner

शर्त क्र.-7) खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जावेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जडों को नही काटा जावेगा।

शर्त क्र.-8) यदि आपके द्वारा या आपके अधिनस्त ठेकेदार/श्रमिक द्वारा वन या भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो इस कार्यालय द्वारा निर्धारित राशि आपसे देय होगी।

शर्त क्र.-9) पर्यावरण एवं वन्यप्राणियों के रहवास/आवास को कोई क्षति नही पहुचाई जायेगी तथा वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुचती है तो आवेदक उसकी भरपाई करेगा।

शर्त क्र.-10) कार्य पर लगाये गये मजदूरो द्वारा जलाऊ लकडियों का उपयोग नही किया जायेगा।

शर्त क्र.-11) ऑप्टिकल फाईबर लाईन डालने का कार्य सूर्य उदय से पूर्व एवं सूर्य अस्त के पश्चात नही किया जावेगा तथा वनक्षेत्र में कोई श्रमिक कैम्प नही लगाए जाये।

शर्त क्र.-12) शासन अथवा विभाग द्वारा यदि कोई राशि/शर्ते भविष्य में निर्धारित की जायेगी तो आवेदक विभाग उसकी पूर्ति हेतु बाध्य होगा।

शर्त क्र.-13) किसी भी प्रकार की वनोपज का परिवहन नही किया जावेगा।

शर्त क्र.-14) भारत शासन के पत्र क/एफ.नं.5-3/2007-एफसी दिनांक 05.02.2009 के अनुसार ROW के तहत 4 इंच तक की भूमिगत पानी की पाईप-लाईन डालने हेतु NPV की राशि की छूट दी गई है, किन्तु आवेदक संस्थान के पत्र क्रं/1986/तक.शा./न.पा./2020 दि. 18.03.2020 के बिंदु क 5 अनुसार 450MM (17 इंच) के व्यास की पाईप लाईन का उपयोग किया जावेगा अतः NPV की राशि 8.03 लाख प्रति हेक्टैयर की दर से 0.160 हेक्टेयर की राशि 1,28,480/- शब्दो मे (एक लाख अट्ठाइस हजार चार सौ अस्सी) देय होगी जिसे नोडल अधिकारी के समक्ष ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कराये।

शर्त क्र.-15) राशि जमा होने के उपरान्त आवेदक संस्था शर्तो का पालन प्रतिवेदन वेबसाईट पोर्टल पर अपलोड कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

उपरोक्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र के प्रस्तुत करने पर एवं नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन **OK** रिपोर्ट प्राप्त होने पर द्वितीय चरण औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

(रमेश गनावा)
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 3880 — सीहोर, दिनांक 17/06/2020

प्रतिलिपिः

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
4. उपवनमण्डलाधिकारी सीहोर एवं वन परिक्षेत्राधिकारी-आष्टा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण मे लेख है की राज्य शासन द्वारा प्रस्ताव में सेद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। अतः आवेदक विभाग को औपचारिक स्वीकृति के पूर्व वनक्षेत्र में कार्य न करने दिया जावे।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर

O/c

Scanned with CamScanner